

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/बजट आवंटन/2022-23/ 6891

दिनांक: 22/09/2022

संशोधित बजट आवंटन आदेश- 55

इस कार्यालय के बजट आवंटन आदेश संख्या 53 पत्र क्रमांक 6816-30 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा ए.पी.ओ. आईटम 53—Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department में आवंटित बजट को विलोपित कर निम्नानुसार बजट आवंटन कर आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & wildlfie
04- Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net Present Value of Forest Land
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण/बजट आवंटन		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर	53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department	31	69	1.03500	-24	-0.36000	45	0.67500	मु.व.सं. एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा के पत्रांक 2512 दिनांक 08.09.2022 के क्रम में
2	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा	53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department	31	61	0.91500	-26	-0.39000	35	0.52500	
3	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी	53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department		0	0.00000	50	0.75000	50	0.75000	

शर्तें :

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 3 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के
- 4 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 5 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 6 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 7 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 8 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

- 9 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 10 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 11 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर **Overlapping** से बचा जा सकें।

Shikha
(शिखा मेहरा)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर। *o/c*

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/बजट आवंटन/2022-23/ **6892-690**

दिनांक: **22/09/2022**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक -वन्य जीव सवाई माधोपुर/मु.व.सं. एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 3 उप वन संरक्षक-उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर/उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी/वन्य जीव कोटा।
- 4 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

m. (D)
(मधु चौड)।
मुख्य लेखाधिकारी (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर। *o/c*